न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर जिला अलवर

पीठासीन अधिकारीः– साधुराम जाट, आर.ए.एस.

दावा संख्या	दायरा दिनांक	निर्णय दिनांक
15/18	14.05.2018	26.10.2018

1. रामकिशन पुत्र चिरंजी जाति ब्राहम्ण निवासी बिरोद तह0 मुण्डावर जिला अलवर।

प्रार्थी–

बनाम

1. परमानन्द गौड पुत्र बोहडूराम जाति ब्राहम्ण निवासी सिकंदरपुर बडा तह0 मानेसर जिला गुरूग्राम, हरि0।
2. बाबूलाल
3. बालकिशन पुत्रान चिरंजी जाति ब्राहम्ण निवासी बिरोद तह0 मुण्डावर, अलवर।
4. शशि प्रकाश
5. जयप्रकाश
6. स्वयंप्रकाश
7. उम्मेद प्रकाश
8. सत्यनारायण पुत्रान महावीर जातियान ब्राहम्ण निवासी बिरोद तह0 मुण्डावर, अलवर।
9. अरूण कुमार पुत्र मंगतूराम
10. पवन पुत्र रामचरन
11. कुलदीप पुत्र रामचन्द्र जातियान ब्राहम्ण निवासी बिरोद तह0 मुण्डावर, अलवर।
12. सुखराम दत्तक पुत्र हेमराज जाति जाट निवासी बिरोद तह0 मुण्डावर, अलवर।
13. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हौल्डर तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर।

अप्रार्थीगण–

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए काश्तकारी अधि0

उपस्थिति–

1 श्री अरूण पंडित वकील – प्रार्थी

2 श्री गंगाराम पटेल वकील – अप्रार्थी संख्या 1

–:निर्णयः–

दिनांक :–26.10.2018

आज यह पत्रावली सुनाये जाने निर्णय आदेश पेश हुई । वकील उभयपक्षकारान उपस्थित आये। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का सारतः रहा कि वाके ग्राम बिरोद तह0 मुण्डावर के आराजी हाल ख0नं0 602/0.42 है0 में मिन प्रार्थी का 1/3 भाग दर 1 हिस्सा व 1/18 भाग खातेदारी कब्जेकाश्त की आराजी वो कृषि कार्य हेतु निर्मित मकानात स्थित है। जो मिन प्रार्थी की दादालायी

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner

आराजी है एवं राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के नाम का अंकन दर्ज है। नजरी नक्शा संलग्न प्रार्थना पत्र है। जिसमें मिन प्रार्थी को आराजी में व निर्मित मकानात में आने जाने के लिए कोई रिकॉर्डेड रास्ता नहीं है। जिससे ट्रेक्टर, उंटगाडी व अन्य वाहन वो खेती का सामान लाने ले जाने में प्रार्थी असमर्थ है।

मिन प्रार्थी का आराजी ख0नं0 601/1.01 है0 में 1/18 हिस्सा है जो तरफ पश्चिम में ख0नं0 605 के साथ–साथ दक्षिण से उत्तर को रहा है तथा प्रार्थी अपने हिस्से की आ0ख0नं0 601 में से ही अपने कब्जेकाश्त की आ0ख0नं0 602 में आवागमन करता रहा है। **लेकिन अप्रार्थीगण ने 601 में मिन प्रार्थी के हिस्से पर जबरन कब्जा कर लिया तथा फसल के समय अप्रार्थीगण 1 ल0 12 जबरन मिन प्रार्थी के हिस्से की आराजी में स्थित रास्ता बन्द कर देते है।**

अप्रार्थीगण संख्या 1 ल0 12 व मिन प्रार्थी की आ0ख0नं0 601 आम सडक शाहजहांपुर से दाधिया पर स्थित है। जिस आराजी की तरफ पश्चिम डोल के साथ व ख0नं0 605 के पुर्वी डोल से प्रार्थी अपनी आराजी व मकानात में आसानी से आवागमन करता है। **इसलिए 10 फुट चौडा व 150 लम्बा रास्ता प्रार्थी के हिस्से में से नया रास्ता कायम किया जावे या अप्रार्थीगण के हिस्से की आराजी मे से रास्ता कायम किया जाकर अप्रार्थीगण को मिन प्रार्थी के हिस्से की आराजी बदले में दे दी जावे या भूमि की जो राशि बनती है वो अदालत श्रीमान के आदेशानुसार मिन प्रार्थी से जमा कराई जाकर ख0नं0 601 में से रास्ता कायम किया जावे।**

मिन प्रार्थी को अपनी आराजी ख0नं0 602 में स्थित मकानात तक पहुंचने में रूकावट वो मुसीबत होती है। अब दिनांक 05.05.17 को अप्राथीगण ने मिन प्रार्थी के रास्ता को बन्द कर दिया और एलानिया धमकी दी कि तुम्हे आवागमन नहीं करने देंगे, बस यही प्रार्थना पत्र हेतु बिनायदावी व बिनायमुखास्मत पैदा कर प्रार्थना पत्र पेश करना लाजिम आया का निवेदन करते हुए प्रार्थना पत्र मिन प्रार्थीगण वो तर0 अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर मिन प्रार्थी की आराजी ख0नं0 602/0.42 है0 वाके ग्राम बिरोद के 1/3 हिस्सा दर 1 हिस्सा व 1/18 भाग में कृषि व निर्मित मकानात तक पहुंचने के लिए मिन प्रार्थी व अप्रार्थीगण की सामलाती आ0ख0नं0 601 में मिन प्रार्थी के हिस्से की आराजी में से 10 फुट चौडा व करीब 150 फुट लम्बा नया रास्ता कायम कर, रास्ता घोषित किए जाने के आदेश फरमाये जाने का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किए जाने उपरान्त अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 13 बावजूद विधिवत तलवी अनुपस्थित रहने की स्थिति में उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई एवं अप्रार्थी संख्या 1 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर अपना जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया।

मुताबिक जवाब प्रार्थना पत्र प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करते हुए अप्रार्थी संख्या 1 के जवाब का सारतः रहा कि

प्रार्थना पत्र का जिम्मन नं. 1 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। मिन अप्रार्थी का ख0नं0 602 से कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। यह सही है कि प्रार्थी ने अपनी कृषि भूमि में बिना बंटवारा के रिहायशी मकान बना रखे है।

जिम्मन नं0 2 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है।

जिम्मन नं. 3 गलत है स्वीकार नहीं। प्रार्थी आ0ख0नं0 602, 604 में हिस्सेदार है व उक्त दोनो ख0नं0 लगते हुए है तथा ख0नं0 604 का दर्बा दक्षिण का हिस्सा आम सडक से लगता हुआ है तथा ख0नं0 605 का प्रार्थी रामकिशन खुद हिस्सेदार है। जिसमें से रास्ता ले सकता है।

जिम्मन नं0 4 गलत है स्वीकार नहीं। उक्त विवादित आराजी ख0नं0 601 का दिनांक–03.05.18 को विधिवत बंटवारा किया जाकर निर्णित कर डिक्री जारी हो चुकी है। जिसके अनुसार ख0नं0 601 से प्रार्थी का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं रहा व सम्पूर्ण ख0नं0 601

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner

मिन अप्रार्थी के हिस्से आया है। जिसके बाबत दौराने सुनवाई जारी कुर्रे रिपोर्ट प्राप्ति पर भी प्रार्थी ने कोई रास्ता के बाबत एतराज नहीं किया।

जिम्मन नं0 5 गलत है स्वीकार नहीं। आ0ख0नं0 602, 603, 604, 605 आपस में प्रार्थी और प्रार्थी के सगे भाई बन्धुओ के है। ख0नं0 604, 605 में से प्रार्थी आ जा सकता है।

जिम्मन नं0 6 गलत है स्वीकार नहीं। जब दिनांक 03.05.18 को श्रीमान न्यायालय द्वारा ही आराजी का बंटवारा हो चुका तो प्रार्थी ने बदनीयती के आधार पर दावा/प्रार्थना पत्र पेश किया है। जबकि प्रार्थी का मिन अप्रार्थी की आराजी से कोई लेना देना नहीं है। पूर्व में भी प्रार्थी ने धारा 251 ए राज0 काश्0 अधि0 का प्रार्थना पत्र पेश किया था जो श्रीमान न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है।

जिम्मन नं. 7 गलत है स्वीकार नहीं। प्रार्थी को यदि रास्ता चाहिए तो अपने भाई/सहखातेदारान की आराजी में से ले सकता है। मौके पर आराजी लगती हुई है।

जिम्मन न0 8 गलत है स्वीकार नहीं। दिनांक 05.05.18 को कोई बिनायदावी व बिनायमुखास्मत पैदा नहीं होती है। पूर्व में रास्ता के बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया गया था जो खारिज हो चुका है। इसलिए प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है आदि का निवेदन करते हुए अप्रार्थी संख्या 1 का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने का निवेदन रहा है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र की ताईद में मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र रामकिशन पीडब्ल्यू–1, निहाल सिंह पीडब्ल्यू–2, हरीश पीडब्ल्यू–3, सचेतानन्द पीडब्ल्यू–4 एवं दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप हाल जमाबन्दी संवत 2072–75 प्रदर्श–1 पेश किए है, जो शामिल पत्रावली है।

इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 ने मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र परमानन्द डीडब्लयू–1, अनूप डीडब्लयू–2, राकेश डीडब्लयू–3 एवं दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप श्रीमान न्यायालय के नकल निर्णय आदेश दिनांक 03.05.18 प्रदर्श ए–1, नकल पर्चा डिक्री दिनांक–03.05.18 प्रदर्श ए–2, नकल कुर्रेजात रिपोर्ट तहसीलदार मुण्डावर प्रदर्श ए–3, नकल आदेशिका उक्तानुसार निर्णित वाद रामकिशन बनाम परमानन्द प्रदर्श ए–4 पेश किए है जो शामिल पत्रावली है।

वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई एवं न्यायालय द्वारा मय हल्का पटवारी पलावा दिनांक–23.10.18 को स्वयं द्वारा मौका देखा गया। जिसके बाबत मौका पर्चा रिपोर्ट शामिल पत्रावली है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के जिम्मनो को दोहराते हुए कथन रहा कि ख00नं0 601 में से रास्ता हेतु निवेदन किया गया है क्योंकि आ0ख0नं0 602 में प्रार्थी द्वारा मकान बनाया हुआ है और कृषि भी है तथा अब प्रार्थना पत्र के जिम्मन नं. 4 के बाबत अप्रार्थी डिनाए कर रहे है जबकि मिन प्रार्थी का ख0नं0 601 में हिस्सा है का निवेदन करते हुए बंटवारे के बाबत पूर्व में किए गए निर्णय के संबंध में मैने अपर न्यायालय में अपील कर रखी है का निवेदन करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी व अप्रार्थीगण की सामलाती आ0ख0नं0 601 में से प्रार्थी के हिस्से की आराजी में से उक्तानुसार नया रास्ता कायम कर रास्ता घोषित किए जाने के आदेश किए जाने का निवेदन रहा।

इसी प्रकार दौराने बहस वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र के जिम्मनो को अस्वीकार कर अपने जवाब प्रार्थना पत्र के जिम्मनो को दोहराते हुए अभीकथन किया कि अन्तर्गत धारा 251 ए के तहत वैकल्पिक रास्ता नहीं हो तो श्रीमान न्यायालय द्वारा दिलाया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति विशेष से अपनी नाजायज सहुलियत के अनुसार रास्ते की मांग नहीं कर सकता क्योंकि ख0नं0 605 में प्रार्थी का रिकॉर्डेड हिस्सा है। नकल जमाबन्दी संलग्न है। इस प्रकार ख0नं0 601 से रास्ता मांगने का कोई औचित्य ही नहीं है एवं ख0नं0 604 में भी प्रार्थी का व उसके भाईयो के हिस्से है साथ ही पूर्व में प्रार्थी द्वारा ही प्रस्तुत विभाजन के दावा की सुनवाई के दौरान प्राप्त कुर्रेजात प्रस्ताव पर भी प्रार्थी द्वारा कोई एतराज नहीं किया गया एवं प्रार्थी द्वारा पूर्व

उपखण्ड अधिकारी
...र (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner

में भी अन्तर्गत धारा 251 ए का वाद दायर किया गया था जो श्रीमान न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है। साथ ही प्रार्थी द्वारा पूर्व में प्रेषित होकर बंटवारे का वाद निर्णित होने के बाबत की अपील भी बालकिशन द्वारा की गई है जो उक्त प्रकरण में अप्रार्थी है का निवेदन करते हुए नजीर आर आर डी 2017 पेज 7, आरआरटी 2014 पेज 40 प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया गया कि उक्तानुसार नजीरो द्वारा स्पष्ट किया है कि यदि वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो तो ही प्रावधान कर सकता है का कथन करते हुए प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को मय हर्जा खर्चा खारिज किए जाने का निवेदन रहा।

वकील उभयपक्षकारान की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई एवं पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात की गहनता से अध्ययन उपरान्त जब प्रार्थी द्वारा पूर्व में प्रस्तुत विभाजन के दावे का निर्णय उभयपक्षकारान की विधिवत सुनवाई उपरान्त दिनांक 03.05.18 को किया जा चुका है एवं उक्त निर्णित प्रकरण में वादी/प्रार्थी द्वारा पत्रावली में प्राप्त कुर्रेजात प्रस्ताव के बाबत किसी भी प्रकार का एतराज नहीं रहा है एवं मुताबिक अंतिम निर्णय अन्य आराजीयात के साथ–साथ विवादित आराजी ख0नं0 601 अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्से में प्राप्त हो चुकी हो एवं प्रार्थी ने अपने उक्त प्रार्थना पत्र के जिमन नं0 4 में खसरा नं0 601 में अपना हिस्सा दर्शाते हुए एवं अप्रार्थीगण 1 ल0 12 ,द्वारा जिमन नं0 6 में दिनांक 05.05.2018 को रास्ता बन्द कर दिया जाना अंकित किया है। प्रार्थी का हिस्सा आराजी में होना, अप्रार्थीगण द्वारा रास्ता बन्द कर दिया जाना स्वतः ही विरोधाभाषी है साथ ही चाहे गये गये अनुतोषानुसार प्रार्थीगण एवं तरतीबी अप्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का भी निवेदन किया गया है जबकि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में किसी भी पक्षकार को तरतीबी अप्रार्थीगण बनाया ही नहीं है यह भी अपने आप में विरोधाभाषी है। इस प्रकार उक्त प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा विवादित ख0नं0 601 में अपना दर्शाया गया हिस्सा गलत है साथ ही पूर्व में बंटवारे के बाबत का वाद निर्णित होने के बाबत प्रार्थी ने अपने स्वयं के जिरह साक्ष्य में भी स्पष्ट रूप से जाहिर किया है कि मैने ख0नं0 599, 603, 604, 598, 602, 601 के बंटवारे के बाबत का एक दावा पूर्व में डाला था जो दिनांक–03.05.2018 को अंतिम डिक्री हो गया है। जिसमें प्राप्त कुर्रे रिपोर्ट अनुसार ख0नं0 602/2 व 604/2 मुझे दिया गया था तथा परमानन्द के हिस्से में ख0नं0 600, 601, 599/2 आया। इसी प्रकार मैने शपथ पत्र के जिम्मन नं0 4, 5, 6 में क्या लिखा मुझे पता नहीं का कथन किया। ठीक इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र अनुसार आ0ख0नं0 602, 604, 605 में प्रार्थी की हिस्से आराजी होकर आ0ख0नं0 604 व 605 जो आम सडक से लगते हुए है तथा प्रार्थी द्वारा पूर्व में विवादित आराजी सहित बंटवारे का दावा प्रस्तुत किया जाकर न्यायालय द्वारा भी दिनांक 03.05.18 को बाद प्राप्ति कुर्रेजात प्रस्ताव अंतिम निर्णित किये जाने को अप्रार्थी का जवाब स्वयं प्रार्थी के शपथ पत्र से स्पष्ट रूप से साबित है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत नकल कुर्रेजात व नकल निर्णय दिनांक 03.05.18 के अवलोकन से किसी भी प्रकार का कोई एतराज दर्शाया जाना नहीं पाया जाता है। साथ ही स्वयं पीठासीन अधिकारी द्वारा मौका जांच कर दिनांक 23.10.18 में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा ख0नं0 601 में से नया रास्ता मांगते हुए सामलाती आराजी का वर्णन करते हुए मांग की है ताकि ख0नं0 602 में स्थित अपने मकान व आराजी में आ जा सके। हमने मौके पर हल्का पटवारी पलावा व ग्राम प्रतिहारी को मौके पर राजस्व रिकॉर्ड के साथ स्थल का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य बाबत ख0नं0 601 में स्वयं का सहखातेदार होना प्रमाणित नहीं होना पाया गया। चूंकि वादी/प्रार्थी द्वारा पूर्व में बअनुवानी रामकिशन बनाम परमानन्द दावा संख्या 47/17 बाद सुनवाई दिनांक 03.05.18 में बाद प्राप्ति कुर्रेजात प्रस्ताव अंतिम निर्णित की जा चुकी है। जिसमें रामकिशन द्वारा वादी के रूप में कुर्रेजात प्रस्ताव के बाबत किसी भी प्रकार के उज्रात का निवेदन नहीं किये जाने की स्थिति में अंतिम डिक्री किया जा चुका है। ख0नं0 604, 605, 601 जिनके दक्षिणी हिस्से से पक्की डामर रोड

उपखण्डाधिकारी
... (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner

निकली हुई है जो मिर्जापुर से पलावा रोड बनी हुई है। ख0नं0 605 जिसमें प्रार्थी स्वयं सहखातेदार है व उक्त ख0नं0 के दक्षिणी हिस्सा छोडते हुए तीन तरफ पक्की दीवार का निर्माण किया हुआ है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी ख0नं0 605 व 602 में से उसके हिस्से में आई भूमि जो कि दक्षिण में स्थित है सिर्फ उक्त ख0नं0 602 व 605 के मध्य पूर्व पश्चिम स्थित दीवार को हटाकर जितना रास्ता चाहिए अपनी सहखातेदारी की स्थिति में प्राप्त कर सकताहै। वर्तमान मौके की स्थिति के अनुसार प्रार्थी द्वारा जिस ख0नं0 601 में से नया रास्ता चाहे जाने के बाबत का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। उसका कोई औचित्य नहीं है ना ही रास्ता दिया जाना विधि सम्मत है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को यह न्यायायल खारीज योग्य पाता है।

–:: आदेश ::–

अतः यह न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को खारीज योग्य पाये जाने की स्थिती मे विवादित आराजी ख0न0 601 वाके ग्राम बिरोद तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राज0 में से 10 फुट चौडा व 150 फुट लम्बा नया रास्ता कायम कर रास्ता घोषित कराए जाने के बाबत के प्रार्थना पत्र को खारीज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 26.10.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय सुनाया गया।

26/10/18

(साधुराम जाट)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner